इंडियन एयरलाइन्स केबिन क्रू एसोसिएशन द्वारा दिया गया ज्ञापन

4153. **डा० बापू कालदाते :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स केबिन क्रू एसोसिएशन ने इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधकों को 3 अगस्त, 1992 को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयरलाइन्स केबिन क्रू एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उप मुख्य केबिन क्रू के पद के लिए नियुक्तियों को उस समय तक अधिसूचित नहीं किया जाता और प्राप्त हुई आपत्तियों को, यदि कोई हो, निपटान नहीं हो जाता है तथा पदों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाए ।

(ग) केबिन क्रू की भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, और इस प्रकार फ्लाइट पर्सरों तथा विमान परिचारिकाओं की संयुक्त वरिष्ठता सूचियां का रख-रखाव क्षेत्रवार किया जाता है । इन सूचियों का प्रदर्शन कर दिया गया है तथा इन्हें संबंधित कर्मचारियों से प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा । एयरलाइन्स केबिन क्रू एसोसिएशन एक गैर-मान्यता प्राप्त संगठन है । एयर कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन (केबिन क्रू का भी प्रतिनिधित्व करने वाला एक मान्यता प्राप्त संगठन) के साथ समझौते के अनुसार, व्यवसाय परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन के आधार पर, उप मुख्य केबिन क्रू के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं ।

Reintroduction of Vayudoot service to certain places

4154. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether he is aware that Government of Orissa is requesting Vayudoot authorities for reintroduction of its service in Bhubaneshwar-Jeypore-Vizag and Bhubaneshwar-Rourkela-Calcutta Sector which has been withdrawn in 1986 and 1989 due to shortage of aircraft; and

(b) if so, what is the specific decision of the Central Government in the matter?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) Due to commercial and operational reasons, it is not possible for Vayudoot to rentroduce these services at present.

Money spent by Tourism Department in Court Disputes

4155. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Hindi Edition of Nav Bharat Times of 4th August, 1992 captioned 'Mukadamebaji mein Paryatan Nigam ke Karoron Kharch' on one of the dismissed employees of Ranjit Hotel, Delhi;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and

(c) what is the present position of the above mentioned case and since when the case was first registered?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Yes, Sir. There is no truth in the news item.